

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003902012

दांडिक प्रकरण क्र.-296/12

संस्थापित दिनांक-26.07.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-कल्याण सिंह पुत्र रूपसिंह सिसौदिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम जारसल।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 04.02.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196, 3/181 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी इमरत पाल ने दिनांक 21.07.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक वह अपनी रिश्तेदारी में डुंगासरा गांव जा रहा था तब म्यूजियम के पास मुंगावली की तरफ से कल्याण सिंह ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे वे गिर गए और उन्हें चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 256/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337-तीन बार एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196, 3/181 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.07.12 को समय 5.30 बजे शाम को म्यूजियम के पास मुंगावली रोड पर मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 08 जे 5855 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर इमरत पाल को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर इमरतलाल को उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर जिससे उस पर बैठे इमरत, रामचरण, भैयालाल को चोटें कारित कीं, ऐसा कर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के सार्वजनिक रोड पर चलाकर धारा 39 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चालन कर धारा 146 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
5. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को बिना ड्रायविंग लायसेंस के सार्वजनिक रोड पर चलाकर धारा 3 मोटरयान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रामचरण, अ.सा. 02 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 03 इमरत, अ.सा. 04 भैयालाल, अ.सा. 05 नरेंद्र सिंह, अ.सा. 06 जयपाल, अ.सा. 07 कैलाश, अ.सा. 08 अवधेश गौड़ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 03 इमरत ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने गांव कोठी से पाडरी जा रहा था और उसके साथ रामचरण भी था। उक्त साक्षी के अनुसार चंदेरी से मुंगावली रोड पर वे लोग गए तथा खिन्नी के पेड के पास रामचरण ने बाथरूम जाने के लिए मोटरसाईकिल रोकी तब कल्याण की मोटरसाईकिल आ गई थी और वह आकर उसके पैडल में लगी थी जिससे वह दूर फिक गया था और उसे चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार रामचरण को भी चोटें आई थीं तथा मोटरसाईकिल आरोपी कल्याण चला रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके बाद वे लोग अस्पताल गए थे। अ.सा. 01 रामचरण ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को इमरत और वह मोटरसाईकिल से जा रहे थे तब कल्याण की मोटरसाईकिल से उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे वह गिर गया था और चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी कल्याण के साथ भैयालाल था जो उसे उठाकर इलाज के लिए पाराशर अस्पताल ले गया था और फिर वे वहां से सरकारी अस्पताल गए थे और फिर उन्होंने रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार मोटरसाईकिल भागती हुई आ रही थी तथा वह बाथरूम करने के लिए उतरा था।

08— अ.सा. 04 भैयालाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है

तथा फरियादी को भी जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी एवं आहत उसकी मोटरसाईकिल से आकर टकरा गए थे जिससे इमरत और उसे चोट आई थीं और वे लोग स्वयं घटनास्थल से अस्पताल गए थे। उक्त साक्षी पक्षद्रोही हो गया है तथा उसने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी मोटरसाईकिल को तेजी से चला रहा था। अ.सा. 06 जयपाल जो कि जप्ती पत्रक प्रपी 08 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 09 का साक्षी है, भी पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई थी। इसी प्रकार अ.सा. 07 जो कि जप्ती पत्रक प्रपी 08 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 09 का साक्षी है भी पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने भी उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही होने से इंकार किया है। अ.सा. 02 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 21.07.12 को सीएचसी चंदेरी में आहत इमरत, रामचरण, भैयालाल एवं कल्याण का मेडिकल परीक्षण किया गया था। आहत इमरत की मेडिकल रिपोर्ट प्रपी 02 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आहत के शरीर पर पांच चोटें आई थीं, जो कि साधारण प्रकृति की थीं और उक्त रिपोर्टानुसार सख्त एवं भौंथरी वस्तु से आना प्रकट हो रही थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आहत रामचरण के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्रपी 03 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत के शरीर पर पांच चोटें थीं जो साधारण प्रकृति की होकर सख्त एवं भौंथरी वस्तु से आना प्रकट हो रही थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आहत भैयालाल के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्रपी 04 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत के शरीर पर चार चोटें थीं जो साधारण प्रकृति की होकर सख्त एवं भौंथरी वस्तु से आना प्रकट हो रही थीं।

09— अ.सा. 08 अवधेश गौड ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 10 लेखबद्ध की गई थी जिसके अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी अभियोजन का साक्षी है जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी के बताए अनुसार लेखबद्ध की गई थी। प्रकरण का विवेचक अ.सा. 05 नरेंद्र सिंह है जिसके अनुसार उसने प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्रपी 07 तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में आरोपी को प्रपी 09 के अनुसार गिरफ्तार किया था तथा प्रपी 08 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 06 फरियादी की निशादेही पर तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

10— प्रकरण में आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। जहां तक अ.सा. 04 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी की मोटरसाईकिल पर बैठा था। इस प्रकार उक्त साक्षी हितबद्ध साक्षी है। उक्त साक्षी पक्षद्रोही भी हो गया है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। अ.सा. 02 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है उसकी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी एवं आहत को चोटें आई थीं। यद्यपि उक्त साक्षी के अनुसार आहत को आई चोट गिरने से आना संभव थीं, किंतु इस संबंध में निष्कर्ष अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्य की विवेचना के उपरांत ही संभव है। जहां तक अ.सा. 05 एवं अ.सा. 08 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षीगण पुलिस के साक्षी हैं तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है या नहीं, यह घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना के उपरांत निश्चित हो जाएगा। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 एवं अ.सा. 03 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। उपरोक्त दोनों ही साक्षीगण ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल से

उन्हें टक्कर मार दी गई थी। दोनों साक्षीगण ने घटनास्थल एक ही बताया है तथा दोनों साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता हो। दोनों साक्षीगण द्वारा जो घटना का वृत्तांत बताया गया है वह एक समान है तथा उसमें ऐसा कोई प्रमुख विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य अस्पष्ट या संदेहास्पद प्रकट होती हो। यद्यपि प्रकरण में जप्ती पत्रक के दोनों साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, किंतु मात्र इस आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि अभियोजन की कहानी सही नहीं है, समीचीन प्रतीत नहीं होता। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य की संपुष्टि मेडिकल साक्ष्य से हो रही है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी कल्याण सिंह द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया गया एवं फरियादी एवं आहत को टक्कर मारकर उन्हें उपहति कारित की गई। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपी के पास उक्त घटना दिनांक को उक्त मोटरसाईकिल को बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा तथा बिना ड्रायविंग लायसेंस के नहीं चला रहा था।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 279, 337—तीन बार एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196, 3/181 में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण समन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।

13. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उसे यह शिक्षा दे कि सार्वजनिक मार्ग पर मोटरयान का चालन विधि के प्रावधानों के अंतर्गत करना न केवल स्वयं के लिए आवश्यक है, बल्कि सामान्य जनमानस की सुरक्षा के लिए भी परमावश्यक है। साथ ही यह भी संदेश जाए कि यदि किसी के द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक वाहन का परिचालन किया जाता है तो इसके लिए उसे उत्तरदायी होना होगा। उल्लेखनीय है कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है तथा ये उसका प्रथम अपराध है। आरोपी का परिवार है तथा उसके बच्चे हैं और यदि आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आरोपी के भविष्य तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ने की संभावना है। प्रकरण में आहतगण को आई चोट साधारण प्रकृति की हैं तथा गंभीर प्रकृति की नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को कारागार के दंड से दंडित न करते हुए अर्थदंड से दंडित करना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भादवि की धारा 279 के अपराध में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी तीन दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। भादवि की धारा 337—तीन बार के अपराध में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी तीन दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के अपराध में 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी तीन दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम

में आरोपी तीन दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अपराध में 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी तीन दिवस का साधारण कारावास भोगेगा।

14. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 08 जे 5855 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

16. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)